न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रीमती सन्तोष कंवर पत्नी बिरजुसिंह।
2 दलीप सिंह पुत्र बालसिंह।
3 रामसिंह पुत्र बालसिंह।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र बालसिंह।
5 सुरेन्द्र सिंह पुत्र बालसिंह।
6 उदयसिंह पुत्र हरीसिंह।
7 जस्सुसिंह पुत्र हरिसिंह।
8 प्रेमसिंह पुत्र हरीसिंह।
9 महीपाल सिंह पुत्र हरीसिंह।
10 श्रीमती छगनकंवर बेवा हरीसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण भीतरली गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी प्रभुसिंह।
2 मुन्शीसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
3 बिहारीसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
4 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
5 इन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह।
6 भगवान सिंह पुत्र खेतसिंह।
7 रिछपाल सिंह पुत्र खेतसिंह।
8 चन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह।
9 सवाईसिंह पुत्र प्रभुसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 पृथ्वीसिंह पुत्र प्रभुसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण भीतरली गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

11 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015
दावा नम्बर 229/2013 प्रेमदेवी बनाम सवाईसिंह आदि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर

अपील संख्या 74/2016

1 श्रीमती सन्तोष कंवर पत्नी बिरजुसिंह।
2 दलीप सिंह पुत्र बालसिंह।
3 रामसिंह पुत्र बालसिंह।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र बालसिंह।
5 सुरेन्द्र सिंह पुत्र बालसिंह।
6 उदयसिंह पुत्र हरीसिंह।
7 जस्सुसिंह पुत्र हरिसिंह।
8 प्रेमसिंह पुत्र हरीसिंह।
9 महीपाल सिंह पुत्र हरीसिंह।
10 श्रीमती छगनकंवर बेवा हरीसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण भीतरली गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी प्रभुसिंह।
2 मुन्शीसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
3 बिहारीसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
4 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
5 इन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह।
6 भगवान सिंह पुत्र खेतसिंह।
7 रिछपाल सिंह पुत्र खेतसिंह।
8 चन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह।
9 सवाईसिंह पुत्र प्रभुसिंह।
10 पृथ्वीसिंह पुत्र प्रभुसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण भीतरली गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 24.05.2016
दावा नम्बर 229/2013 प्रेमदेवी बनाम सवाईसिंह आदि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 03.03.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 229/2013 में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एंव अंतिम डिक्री दिनांक 24.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के पक्षकार एवं विवादित भूमि एक समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट्स ने ग्राम भीतरली गांवड़ी तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 3,4,5,6,33,34,38,134,135,141 से 148,150,151,152,171 से 178, 233 से 243 बाबत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 12 की और से जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूमि का बाहमी विभाजन होने का कथन कर वाद खारिज करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 01.07.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इसके विरूद्व अपीलांट की और से अपील संख्या 73/2016 प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2016 को वाद वादी अंकित रूप से डिक्री किया गया है। इसके विरूद्व अपील संख्या 74/2016 अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसे निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्र. अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

2013 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर दोनों अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों में विवादित भूमि के हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है। विचारण न्यायालय में हिस्से एवं कब्जे के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा है। जवाब दावे में भी अपीलांट हिस्से का कोई विवाद नही होना कथन करके आये है अत तनकीयात की आवश्यकता नही थी। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री सही जारी की है। कोई विधिक त्रुटि नही की है। तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वंय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर हस्ताक्षर किये गये है। विचारण न्यायालय ने मजमेआम में विभाजन प्रस्ताव पर विवेचन कर अन्तिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2004 पेज 170 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की एवं विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसे निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के जवाब दावें के आधार पर तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर